संख्या- 76 /2020/3906/71-2-2020-पी-52/2014

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 दिसम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या'83 के अंतर्गत सी0बी0एम0आर0, वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी0बी0एम0आर0/निर्माण/614/2015/237 दिनांक 08-10-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सी0बी0एम0आर0 के आवासों/ वी0आइ0पी0 गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 23.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु वास्तविक रूप में रू0 2299566.00 का भुगतान जी0एस0टी0 मद में किया गया है।

2- सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भ में शासनादेश संख्या-57/2015/1707/71-2-15-पी-52/2014, दिनांक 23 जून, 2015 द्वारा रू0 810.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 234.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। पुनः शासनादेश संख्या-67/2016/1695/71-2-16-पी-52/2014, दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा उक्त प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 1172.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अब तक रू0 1113.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्रमांक	शासनादेश/दिनांक	निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)
1	57/2015/1707/71-2-2015-पी-52/2014 दिनांक 23 जून, 2015	234.75
2	07/2016/4824/71-2-2015-पी-52/2014 दिनांक 19 जनवरी, 2016	102.00
3	67/2016/1695/71-2-2016-पी-52/2014 दिनांक 24 मई, 2016	450.00
4	73/2016/2330/71-2-2016-पी-52/2014 दिनांक 03 जून, 2016	50.00
5	41/2017/745/71-2-2017-पी-52/2014 दिनांक 31 मार्च, 2017	29.13
6	10/2018/34/71-2-2018-पी-52/2014 दिनांक 18 जनवरी, 2018	125.00
7	48/2018/449/71-2-2018-पी-52/2014 दिनांक 14 मार्च, 2018	50.00
8	146/2018/3058/71-2-2018-पी-52/2014 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018	50.00
9	01/2020/2947/71-2-2019-पी-52/2014 दिनांक 02 जनवरी, 2020	22.80
	योग-	1113.68

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से सी0 बी0 एम0 आर0 के आवासों/ वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य हेतु जी0 एस0 टी0 मद में कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि रू0 22,99,566.00 (रूपये बाइस लाख निनन्यानबे हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पॉच सौ छाछठ मात्र) भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29.09.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 तथा शासनादेश दिनांक 07-04-2020 एवं दिनांक 11-04-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2) निदेशक, सी0बी0एम0आर0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आंकलन से संतुष्ट हो जाने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
3) निदेशक, सी0बी0एम0आर0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई भी रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के प्रश्चात ही प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।
4) इस सम्बन्ध में अन्य सुसंगत प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रायोजना हेतु पूर्व निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ से प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्ष '' 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-27-सेण्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रिसर्च, लखनऊ-24-बृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29 सितम्बर,2020 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 76 /2020 /3906 (1)/71-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दिवतीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्टरेट, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
6. परियोजना प्रबन्धक/निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट-13, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in